**संख्या-11/2026/44/60-1-2026**

**(सी-1717773)**

**प्रेषक,**

**प्रेम प्रकाश सिंह,**
**संयुक्त सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**महिला कल्याण,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**महिला कल्याण अनुभाग-1** **लखनऊ::दिनांक:: 14 मार्च, 2026**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, लैपटाप व शादी अनुदान प्रदान किए जाने के संबंध में।**

**महोदया,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1/494078/2026/निदे०म०क०/लेखा-बजट-पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 06.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में लेखा संख्या-2235-02-102-06-उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं "उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)" के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य-(गैर वेतन) में रू० 75,12,75,923/- की व्यवस्था अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में लेखा संख्या-2235-02-102-04-कन्या सुमंगला योजना की उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 7293.95 लाख रुपये बहत्तर करोड़ तिरान्बे लाख पंचानबे हजार मात्र) की अतिरिक्त व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 72,93,95,000 (रुपये बहत्तर करोड़ तिरानवे लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखाशीर्षक-2235021020600-उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)-मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-490-E-4-255-X-2025-26, दिनांक 13.03.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

**भवदीय**

**(प्रेम प्रकाश सिंह)**
**संयुक्त सचिव**

**संख्या एवं दिनांक तदेव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(अवनीश कुमार सिंह)**
**अनु सचिव**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।